दिल्ली विकास प्राधिकरण

(नजारत शाखा)

चतुर्थ तल, बी-ब्लॉक, आईएनए, विकास सदन

सं.एफ.8(22)2004/नजा./डीडीए/156 दिनांक: 22/09/2020

जिस किसी से संबंधित हो

विषय: दि.वि.प्रा. स्टाफ वाहनों हेतु पीओएल की आपूर्ति के लिए रूचि की अभिव्यक्ति ।

महोदय,

दि.वि.प्रा. एक सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय विकास सदन, आई.एन.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में दि.वि.प्रा. के पास 130 स्टाफ वाहन है। अत: आपसे अनुरोध है कि विकास सदन, उपराज्यपाल आवास और विकास मीनार के 3 कि.मी. के दायरे में स्थित सभी पेट्रोलियम कंपनियों की इच्छुक वितरण एजेंसियाँ इस पत्र के जारी होने की तिथि से सात दिन के अंदर अर्थात् 29.09.2020 तक मुहरबंद लिफाफे में विधिवत् हस्ताक्षरित और मोहर लगी शर्तों सहित अधोहस्ताक्षरी को संबोधित पत्र द्वारा दि.वि.प्रा. के वाहनों में ईंधन की आपूर्ति हेतु रूचि की अभिव्यक्ति की स्वीकृति भेजें। यह भी नोट किया जाए कि इच्छुक एजेंसियों मे से विकास सदन के पास स्थित दो एजेंसियों तथा उपराज्यपाल आवास के पास स्थित एक एजेंसी और विकास मीनार के पास स्थित एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। निबंधन एवं शर्तें निम्नवत है:

1. आपूर्ति क्रेडिट बेसिस पर प्राप्त की जाएगी।
2. पेट्रोल पंप एजेंसी द्वारा मासिक बिल प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति पर दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
3. बिल प्रस्तुत करने के 15/30 दिनों के भीतर सामान्यत: क्रॉस चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पेट्रोल पंप एजेंसी द्वारा भेजे गए बिल हर प्रकार से पूर्ण हो तथा ठीक हो।
4. दि.वि.प्रा. द्वारा किसी बिलिंग/क्रेडिट खाता रख-रखाव प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पेट्रोल और डीजल की दरें लागू होंगी और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति पर विशेष छूट यदि कोई हो तो, एजेंसी द्वारा दी जा सकती है, एजेंसी, इंजन ऑयल, गीयर ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और अन्य लूब्रीकेंट/कंस्यूमेबलो आदि की आपूर्ति हेतु अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट भी प्रदान कर सकती है।
6. निम्नलिखित सुविधाएं अनुबंध अवधि के दौरान नि:शुल्क प्रदान की जाएगी:-

क) प्रत्येक माह 10 गाड़ियों की नि:शुल्क धुलाई जिसमें बॉडी वॉश, इंजन-वॉश और वायु दाब द्वारा डस्टिंग शामिल है, इसके लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख) अनुबंध अवधि के दौरान प्रत्येक कार की नि:शुल्क प्रदूषण जाँच, जब भी इसकी अंतिम तिथि हो।

7. ईंधन वितरण एजेंसी की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए की जाएगी लेकिन सभी एजेंसियों के संतोषजनक कार्य निष्पादन पर इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

8. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।

9. पेट्रोल एजेंसी द्वारा विभाग को तीन प्रतियों में ईंधन पर्चियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। जिसे आगे दि.वि.प्रा. के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के बगैर खरीदी गई किसी मद का भुगतान करने की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की नही होगी।

10. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् सहायक निदेशक (नजारत) द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित ईंधन पर्ची जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एजेंसी को दिए जाएगें।

11. एक उपभोक्ता होने के नाते दि.वि.प्रा. के पास किसी भी समय ईंधन का नमूना प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए इस संबंध में पेट्रोल पंप एजेंसी पूरा सहयोग करेगी और दि.वि.प्रा. के पास ईंधन की मात्रा, गुणवत्ता और घनत्व जाँचने का अधिकार भी होगा। ऐसे मामले में आपके पेट्रोल पंप को आपत्ति करने का कोई अधिकार नही होगा।

12. दि.वि.प्रा. किसी अथवा सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. यह दर आमंत्रण पत्र किसी भी मामले में हस्तांतरणीय नहीं हैं। अत: केवल वह फर्म जिसे पत्र संबोधित है वही पेशकश का निवेदन करे।

14. पेट्रोल पंप एजेंसी किसी भी नि:शुल्क सेवा, प्रोत्साहन आदि का उल्लेख कर सकती है जो दि.वि.प्रा. के लिए प्रस्ताव को अधिक आकर्षक/किफायती बनाएं।

15. विकास सदन हेतु दो अथवा तीन पेट्रोल पंपों और विकास मीनार हेतु एक पेट्रोल पंप और एक पेट्रोल पम्प उपराज्यपाल के कार्यालय हेतु का अनुमोदन किया जाएगा।

16. अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाएगी तो मामले को आयुक्त एवं सचिव के पास भेजा जाएगा। यदि दि.वि.प्रा. द्वारा बिल का भुगतान लंबित हो, तो इसे तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक दि.वि.प्रा. द्वारा मामलों का समाधान न कर लिया जाए।

(हस्ताक्षर) 22/9/20

सहायक निदेशक (नजारत)
दि.वि.प्रा.

स्वीकृत